

Date- 20/09/2013

सेवा में,
केन्द्रीय जन श्रमणा अधिकारी (C.P.O)
रेलवे बोर्ड कमरा नं- 5, आर० टी० आइ०
बैल. रेल भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली

विषय: चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउन्स और मेन्चुअर ट्रांसफर के सम्बन्ध में।

श्रीमान जी,

3772-2719

सविनय निवेदन यह है कि मैं सुशील कुमार सिंह लोको पापलट (गुड्स)
रे० पी० डी० जे०/ एन० एफ० रेलवे, निम्नलिखित के बारे में जानकारी चाहता हूँ।

- 1) चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउन्स (Children education allowance) के बारे में मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसके नियमों के अंतर्गत क्या-क्या मिलता है और क्या-क्या नहीं मिलता है क्या Class-I के नीचे वाली Class (Nursery, LKG, UKG) के लिए भी Claim करके पर education allowance दिया जायेगा? हमारे डिवीजन में बताया जा रहा है कि Class-I के नीचे लिये 2 साल का ही education allowance देने का प्रावधान है।
- 2) लोको पापलट (गुड्स) के Mutual transfer के लिए क्या-क्या शर्तें अभिव्यक्त हैं।

आतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि मुझे इसके बारे में सही नियमों की जानकारी देने का कष्ट करें। आपका आति कृतज्ञता होगी।

धन्यवाद,

मेरा पता है -

Sushil Kumar Singh c/o Alok Biswas
46, Gurusaday Dutt Road,
North Bharat Nagar,
Rabindra Sarani, Siliguri - 734006
(W.B)

प्राची

सुशील कुमार सिंह
लोको पापलट (गुड्स)/
रे० पी० डी० जे०/ एन० एफ० रेलवे